



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 05-09-2022

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से कुल 27 अदद ठेका देशी शराव(संतरा) मार्का FOR SALE IN HARYANA ONLY

नाजायज बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार खारी की टीम द्वारा दिनांक: **05.09.2022** घटनास्थल मरकज मस्जिद रोड गेट के पास चौकी क्षेत्र कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गा0बाद से चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री अनंगपाल राठी मय हमराही कर्म0गण द्वारा 01 नफर अभियुक्त आशिफ पुत्र फुरकान निवासी म0न0-276 गली न0-04 इस्लामनगर (कमैला) थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिसके से कब्जे से कुल 27 अदद ठेका देशी शराव(संतरा) मार्का FOR SALE IN HARYANA ONLY नाजायज बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्त के विरुद्ध **मु0अ0सं0-371/2022 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम बनाम आशिफ** पंजीकृत हुआ। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जायेगा।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकडे गये अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह हरियाणा से सस्ती दामों में शराब खरीदकर रेलवे स्टेशन के आस पास व झुग्गी झोपडी में पडे नशेडियो को उच्चे दामो में बेचकर मुनाफा कमाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

आशिफ पुत्र फुरकान निवासी म0न0-276 गली न0-04 इस्लामनगर (कमैला) थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीव 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. **मु0अ0सं0-371/धारा 60 2022/आबकारी अधिनियम 63 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।**

बरामदगी – 1) अभियुक्त के कब्जे से 27 अदद ठेका देशी शराव(संतरा) मार्का FOR SALE IN HARYANA ONLY नाजायज बरामद

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0श्री अमित कुमार खारी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. उ 0नि0अनंगपाल राठी थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
3. है0का0 377 प्रेमपाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
4. है0का0 272 राजतरार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

**थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट मे वांछित चल रहे 02 अभियुक्त को
किया गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनिराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन मे तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा गैगस्टर एक्ट मे चल रहे वांछित अभियुक्त.1. कासिब पुत्र बदर अब्बास निवासी म0न0 पी-32 गली नं0 17 ब्रहमपुरी थाना न्यू उस्मानपुरी दिल्ली मूल निवासी ग्राम सांखनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर. 2 हिदायत आगा उर्फ हिद्दू पुत्र जनबुल हसन निवासी ब्रहमपुरी थाना न्यू उस्मानपुरी दिल्ली मूल निवासी ग्राम सांखनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर संबधित मु0अ0सं0 487/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया । उल्लेखनीय है कि इन अभियुक्तो द्वारा दिनांक 07/04/2022.को थाना हाजा क्षेत्र में ज्वैलर्स को गोली मारकर लूट करने की घटना कारित की थी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कासिब पुत्र बदर अब्बास निवासी म0न0 पी-32 गली नं0 17 ब्रहमपुरी थाना न्यू उस्मानपुरी दिल्ली मूल निवासी ग्राम सांखनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर

2 हिदायत आगा उर्फ हिद्दू पुत्र जनबुल हसन निवासी ब्रहमपुरी थाना न्यू उस्मानपुरी दिल्ली मूल निवासी ग्राम सांखनी थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0सं0 164/22 धारा 394/307/120बी /34 भादवि बनाम कासिब थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 192/22 धारा 25/27 आर्मस एक्ट बनाम कासिब थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 164/22 धारा 394/307/120बी /34 भादवि बनाम हिदायत आगा उर्फ हिद्दू थाना सिहानीगेट गाजियाबाद
4. संबधित मु0अ0सं0 487/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट बनाम कासिब व हिद्दू थाना सिहानीगेट गाजियाबाद

गिरफ्तार/सहयोग करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नरेश कुमार शर्मा थाना सिहानीगेट गा0बाद
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद
3. का0 927 प्रवीन कुमार थाना सिहानीगेट गा0बाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 04/09/2022 समय 22.40 बजे हिण्डन नदी के पास बालाजी बिहार रेलवे अन्डर पास वसुन्धरा की तरफ थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से अभियुक्त अजय कुमार पुत्र कुवरपाल सिंह नि0 म0न0 99, गली न0 01 मेरठ रोड ब्रहमपुरी थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद को एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया।

अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्त अजय से बरामद चाकू के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सका जिसके संबंध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 1416/22 धारा 4/25 आर्मस एक्ट बनाम अजय पंजीकृत किया गया।



नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अजय कुमार पुत्र कुवरपाल सिहँ नि0 म0न0 99, गली न0 01 मेरठ रोड ब्रहमपुरी थाना नन्दग्राम जिला गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 विपिन कुमार

उ0नि0 अरविंद चौहान

हे0का0 1082 श्रीनिवास शर्मा

बरामदगी का विवरण

एक अदद नाजायज चाकू बरामद ।

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद ।

कार्यवाही:- कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद की टीम द्वारा दिनांक: 04/09/2022 समय 20.00 बजे हिण्डन नदी पुल निर्माणाधीन थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद से अभियुक्त शिवम पुत्र रामजीवन निवासी 11 चित्रकूट कालोनी अम्बेडकर नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद को एक अदद नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया।



अपराध कारित करने का तरीका

अभियुक्त शिवम से बरामद चाकू के बारे में लाइसेंस तलब किया गया तो नहीं दिखा सका जिसके संबंध थाना हाजा पर मु0अ0स0 1414/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शिवम पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

शिवम पुत्र रामजीवन निवासी 11 चित्रकूट कालोनी अम्बेडकर नगर थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 विपिन कुमार

उ0नि0 अरविंद चौहान

हे0का0 1082 श्रीनिवास शर्मा

बरामदगी का विवरण

एक अदद नाजायज चाकू बरामद ।

थाना कविनगर द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से अवैध 41 पाउच अंग्रेजी शराब व 1 चाकू नाजायज बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 04.09.2022 को समय 23.20 बजे साईं पार्क के पीछे अवन्तिका रेलवे लाइन थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभि० इरफान पुत्र सगीर निवासी साबेरी थाना बिसरख नोएडा गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध 41 पाउच अंग्रेजी शराब राजस्थान मार्का व 1 चाकू नाजायज बरामद हुआ । अभियुक्त से बरामद शराब व चाकू के सम्बन्ध में उसके के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु०अ०सं० 1239/22 धारा 60 आबकारी अधि० व मु०अ०सं० 1240/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध रूप से अन्य प्रान्त की शराब को बेचकर अवैध धन अर्जित करता है तथा अपने पास अवैध अस्लाह रखता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

इरफान पुत्र सगीर निवासी साबेरी थाना बिसरख नोएडा गौतमबुद्धनगर उम्र 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

- 41 पाउच अंग्रेजी शराब राजस्थान मार्का
- 1 चाकू नाजायज

अभियुक्त इरफान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 1239/22 धारा 60 Ex Act थाना कविनगर गाजियाबाद ।
 2. मु०अ०सं० 1240/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद ।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० कर्मवीर सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।
2. का० 954 शिव कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. का० 599 कौशल कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।

थाना कविनगर द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार

किया गया कब्जे से 850 ग्राम गांजा नाजायज बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना कविनगर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनांक 04.09.2022 को समय 22.30 बजे नासिरपुर फाटक के पास थाना कविनगर क्षेत्र से चैकिंग के दौरान अभि० लोकेश पुत्र मुकुट सिंह निवासी 133 उत्तरांचल बिहार सोसायटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 850 ग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ । अभियुक्त से बरामद गांजा के सम्बन्ध में उसके के विरुद्ध थाना कविनगर पर मु०अ०सं० 1238/22 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो अवैध गांजे की तस्करी कर अवैध धन अर्जित करता है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

लोकेश पुत्र मुकुट सिंह निवासी 133 उत्तरांचल बिहार सोसायटी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी गाजियाबाद
उम्र 27 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

850 ग्राम गांजा नाजायज।

अभियुक्त लोकेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

3. मु०अ०सं० 1238/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

4. उ०नि० संजीव कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. का० 1557 अभिलेन्द्र थाना कविनगर गाजियाबाद ।

एसएसपी गाजियाबाद के निर्देशन में गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, थाना लोनी पुलिस द्वारा 05 लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से लूट के दो मोबाइल,3000 रुपये,अवैध असलाह व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद ।

जनपद गाजियाबाद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु श्री मुनिराज जी. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक लोनी की एक टीम गठित की गई थी।

प्रभारी निरीक्षक लोनी श्री अजय चौधरी मय टीम द्वारा थाना लोनी क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गई की 05 लूटेरे अभियुक्त निठौरा अण्डर पास के पास से कहीं भागने की फिराक में हैं।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 05.09.22 अभियुक्तगण 1 सन्नी पाठक पुत्र नरेन्द्र पाठक नि0 बालाजी मन्दिर वाली गली लोनी गाजियाबाद 2. दुर्गेश उर्फ शुभम शर्मा पुत्र गंगाधर नि0 बालाजी मन्दिर वाली गली राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद 3. सुहैल पुत्र अनीस निवासी गली न0- 01 नवीन कुंज रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद 4. प्रिंस पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद 5. संतोष पुत्र अशोक कुमार निवासी कृष्णा विहार रामविहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद को मय एक अदद तंमचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस.315 बोर नाजायज व चार अदद चाकू व लूट के दो अदद मोबाइल व 3000 रुपये व एक अदद मोटरसाइकिल के गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त शांतिर किस्म के अपराधी हैं, लूट जैसी अनेको घटनाएं कारित कर चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के साथी अभियुक्त 1. शिवम पंडित पुत्र सुरेश निवासी राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद 2.सौरभ पुत्र चन्द्रसेन निवासी राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद व 3.पोली उर्फ राजू निवासी राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद मौके से भागने में सफल रहे जिनकी गिरफ्तारी हेतु टीम लगातार प्रयासरत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पछताछ के दौरान बताया कि साहब आज हम लोग और हमारे भागे हुए साथी शिवम पण्डित,सौरभ व पोली सभी नगर निगम के कूड़े के ढेर के पास रेलवे अण्डर पास के पास इकट्ठा हुए थे हम लोग अपनी शौक पूरा करने व खर्च चलाने के लिए लोगों से मोबाइल फोन,पैसे आदी सामान छीनते हैं त्यौहार का समय होने के कारण अच्छा माल मिल जाने के इरादे से आज हम लोग फिर अलग-अलग रास्तों पर जाकर छीना झपटी करने के लिए इक्ठठा हुए थे।

पूछताछ करने पर सनी पाठक व दुर्गेश उपरोक्त ने बताया कि साहब हम दोनो ने अपने साथियो निशान्त व मोहित के साथ मिलकर लगभग 08-10 दिन पहले घिटौरा रोड पर एक स्पलेन्डर मोटर साईकिल सवार से उसकी मोटर साईकिल और कुछ रुपए और मोबाईल छीना था। पैसे हम लोगो ने आपस मे बाट लिए थे जो मोटर साईकिल हम लोगो के पास से पकडी गई है। वह मोटर साईकिल हम लोगो ने घिटौरा ट्रोनिका सिटी से छीनी थी।

पूछताछ करने पर बताया दुर्गेश व सुहैल उपरोक्त ने बताया कि साहब हम दोनो ने लगभग एक महीना पहले निशान्त पुत्र सतीश निवासी निठौरा, व मोहित पुत्र विजय निवासी राम विहार बंधला के साथ रोडी के जंगलो मे एक व्यक्ति से स्पलेन्डर मोटर साईकिल व एक मोबाईल छीना था जो निशान्त के पास है और 7-8 दिन पहले खंजरपुर मोदीनगर से ही हमचा रो ने मिलकर एक स्पलेन्डर मोटर साईकिल छीनी थी पूछने पर बताया कि साहब हम सभी लोग मोबाईल फोन छीनकर सौरभ और पोली को दे देते हैं सौरभ और पोली उन मोबाईल फोनो का लाक तोडकर बेच दते हैं और हम सभी पैसे को आपस मे बाट लेते हैं।

बरामदा मोबाइल फोन के सम्बध मे पूछताछ करने पर सनी पाठक व दुर्गेश उपरोक्त ने बताया कि साहब एमआई का फोन तो हम दोनो ने नन्दनगरी दिल्ली मे एक लडके से फोन करने के वहाना वनाकर ले लिया था और वहा से फोन लेकर भाग आए थे। और वीवो का फोन हम दोनो ने गाजियाबाद से छीना था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता

- 1 सन्नी पाठक पुत्र नरेन्द्र पाठक नि0 बालाजी मन्दिर वाली गली लोनी गाजियाबाद
2. दुर्गेश उर्फ शुभम शर्मा पुत्र गंगाधर नि0 बालाजी मन्दिर वाली गली राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद
3. सुहैल पुत्र अनीस निवासी गली न0- 01 नवीन कुंज रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद
4. प्रिंस पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद
5. संतोष पुत्र अशोक कुमार निवासी कृष्णा विहार रामविहार बंधला थाना लोनी गाजियाबाद

आपराधित इतिहास अभियुक्तगण

सन्नी पाठक पुत्र नरेन्द्र पाठक नि0 बालाजी मन्दिर वाली गली लोनी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

- 1-मु0अ0स0 1039/22 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद
- 2- मु0अ0स0 1040/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद
- 3- मु0अ0स0 706/22 धारा 379/34 थाना नन्द नगरी दिल्ली
- 4- मु0अ0सं0 459/22 धारा 392 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

दुर्गेश उर्फ शुभम शर्मा पुत्र गंगाधर नि0 बालाजी मन्दिर वाली गली राम विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 18 वर्ष

- 1- मु0अ0स0 1039/22 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद
- 2-मु0अ0स0 1041/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद
- 3-मु0अ0स0 706/22 धारा 379/34 थाना नन्द नगरी दिल्ली
- 4-मु0अ0सं0 459/22 धारा 392 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी

3.सुहैल पुत्र अनीस निवासी गली न0- 01 नवीन कुंज रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र-18 वर्ष

1-मु0अ0स0 1039/22 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

2-मु0अ0स0 1042/22 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद

3-मु0अ0सं0 459/22 धारा 392 भादवि थाना ट्रोनिा सिटी

4.प्रिंस पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी गाजियाबाद उम्र-21 वर्ष

1-मु0अ0स0 1039/22 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

2-मु0अ0स0 1043/22 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद

3-मु0अ0सं0 459/22 धारा 392 भादवि थाना ट्रोनिा सिटी

5.संतोष पुत्र अशोक कुमार निवासी कृष्णा विहार रामविहार बंथला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र-19 वर्ष

1-मु0अ0स0 1039/22 धारा 398/401/411/414 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद

2-मु0अ0स0 1044/2022 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद

3-मु0अ0सं0 459/22 धारा 392 भादवि थाना ट्रोनिा सिटी

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तंमचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस.315 बोर नाजायज ।

2. चार अदद नाजायज चाकू ।

3. एक एदद विवो मोबाईल नन्दनगरी दिल्ली से छीना हुआ (सम्बन्धित थाना नन्दनगरी दिल्ली मु0अ0स0 - 706/22 धारा 379/34) ।

4. एक एदद मोटर साइकिल स्पलेण्डर व 3000 रुपये (संबन्धित थाना ट्रोनिा सिटी मु0अ0स0- 459/22 धारा 392 भादवि) ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक लोनी श्री अजय चौधरी

2.उ0नि0 बलराम सिंह सैंगर थाना लोनी गाजियाबाद

2.उ0नि0 नरेन्द्र कुमार थाना लोनी गाजियाबाद

3.हे0का0 174 हरेन्द्र थाना लोनी गाजियाबाद

4.हे0का0 1615 ओम प्रकाश थाना लोनी गाजियाबाद

5.हे0का0 961 ऋषिपाल सिंह थाना लोनी गाजियाबाद

6.हे0का0 466 रजनीश कुमार थाना लोनी गाजियाबाद

7.का0 1648 पंकज थाना लोनी गाजियाबाद

8.का0 3047 सुनील कुमार थाना लोनी गाजियाबाद



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा सट्टे की खाईबाड़ी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद पैड , एक अदद पाकेट डायरी , एक अदद बालपेन नीला, एक अदद कार्बन पेपर नीला , तीन अदद सट्टा पर्ची (कार्बन प्रति) कुल 560 रुपये नगद बरामद।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 04.09.022 को समय करीब 20.10 बजे ब विकास कुंज खेत के पास पडे खाली प्लाट चौकी क्षेत्र गुलाब वाटिका से सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे एक व्यक्ति चेतन पुत्र पिल्लू नि० सी व्लाक गली नं० 9 विकास कुंज सुनीता के मकान में किरायेदार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद को किया गिरफ्तार। जिसके कब्जे से एक अदद पैड , एक अदद पाकेट डायरी , एक अदद बालपेन नीला , एक अदद कार्बन पेपर नीला , तीन अदद सट्टा पर्ची (कार्बन प्रति) , व दस रुपये का एक नोट , पचास रुपये का एक नोट , व पांच सौ रुपये का एक नोट कुल 560 रुपये नगद बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. चेतन पुत्र पिल्लू नि० सी व्लाक गली नं० 9 विकास कुंज सुनीता के मकान में किरायेदार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

अभियुक्त चेतन का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु०अ०सं० 663/022 धारा 13 जी एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

एक अदद पैड , एक अदद पाकेट डायरी , एक अदद बालपेन नीला , एक अदद कार्बन पेपर नीला , तीन अदद सट्टा पर्ची (कार्बन प्रति) , व दस रुपये का एक नोट , पचास रुपये का एक नोट , व पांच सौ रुपये का एक नोट कुल 560 रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- उ०नि० श्री करनवीर सिंह थाना लोनीबार्डर ।
- 2- का० 3772 मांगीलाल थाना लोनी बोर्डर ।



प्रेस नोट

दिनांक 04.09.2022 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा नाजायज छुरी रखने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार । कब्जे से 02 छुरी नाजायज वरामद हुए ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 04.09.022 को समय करीब 18.50 बजे बन्द फाटक से 100 मीटर दूर मीतनगर की ओर चौकी क्षेत्र लोनी बोर्डर से नाजायज छुरी रखने वाले दो व्यक्तियों 1. असगर पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम गादी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत 2. नितिन पुत्र मुकेश निवासी गली न. 02, 30 फुटा रोड अमर कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद को किया गिरफ्तार । जिनके कब्जे से 02 छुरी नाजायज वरामद हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. असगर पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम गादी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
2. नितिन पुत्र मुकेश निवासी गली न. 02, 30 फुटा रोड अमर कालोनी थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद अभियुक्त असगर का आपराधिक इतिहास:-

2- मु०अ०सं० 661/022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त नितिन का आपराधिक इतिहास:-

1- मु०अ०सं० 662/022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

दोनों अभियुक्तों से अलग-अलग छुरी नाजायज वरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 3-** उ०नि० श्री विशाल सिंह थाना लोनीबार्डर ।
- 4-** का० 2276 अमरपाल सिंह थाना लोनी बोर्डर ।
- 5-** का० 1638 राजेश कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।



प्रेस नोट

दिनांक 04.09.2022 थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार । कब्जे से 38 पच्चे दिलखुश देशी शराब तनु मसालेदार उत्तर प्रदेश मार्का वरामद ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी लोनी बार्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 04.09.022 को समय करीब 14.25 बजे ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के पास चौकी क्षेत्र सेवाधाम से एक शराब तस्कर आशीष उर्फ काला पुत्र जगदीश नि० गली न० 3 राधाविहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद को किया गिरफ्तार । जिसके कब्जे से 38 पच्चे दिलखुश देशी शराब तनु मसालेदार उत्तर प्रदेश मार्का वरामद हुए ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

आशीष उर्फ काला पुत्र जगदीश नि० गली न० 3 राधाविहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद

अभियुक्त आशीष का आपराधिक इतिहास:-

3- मु०अ०सं० 660/022 धारा 60 आबकारी अधि० थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त आशीष से बरामदगी का विवरण-

38 पच्चे दिलखुश देशी शराब तनु मसालेदार उत्तर प्रदेश मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 6- उ०नि० श्री मलखान सिंह थाना लोनीबार्डर ।
- 7- उ०नि० श्री विभान्शू तोमर थाना लोनी बोर्डर ।
- 8- हे०का० 1382 मुकेश कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।
- 9- का० 08 कुलदीप कुमार लोनी बोर्डर गा०बाद ।



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त मय 38 पच्चे दिलखुश देशी शराब तनु मसालेदार उत्तर प्रदेश मार्का वरामद ।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री मुनिराज जी० के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व थाना प्रभारी लोनी बोर्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 04.09.022 को समय करीब 14.25 बजे ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के पास चौकी क्षेत्र सेवाधाम से एक शराब तस्कर आशीष उर्फ काला पुत्र जगदीश नि० गली न० 3 राधाविहार थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद को किया गिरफ्तार । जिसके कब्जे से 38 पच्चे दिलखुश देशी शराब तनु मसालेदार उत्तर प्रदेश मार्का वरामद हुए ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

आशीष उर्फ काला पुत्र जगदीश नि० गली न० 3 राधाविहार थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद

अभियुक्त आशीष का आपराधिक इतिहास:-

4- मु०अ०सं० 660/022 धारा 60 आबकारी अधि० थाना लोनी बोर्डर जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त आशीष से बरामदगी का विवरण-

38 पच्चे दिलखुश देशी शराब तनु मसालेदार उत्तर प्रदेश मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 10- उ०नि० श्री मलखान सिंह थाना लोनीबोर्डर ।
- 11- उ०नि० श्री विभान्शू तोमर थाना लोनी बोर्डर ।
- 12- हे०का० 1382 मुकेश कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।
- 13- का० 08 कुलदीप कुमार लोनी बोर्डर गा०बाद ।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 02 मोबाइल चोर मय लूट व चोरी के 09 अदद

मोबाइल फोन व कुल 272 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर के साथ गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मुनिराज जी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 05.09.2022 को चैकिंग के दौरान करीब 10:05 बजे AM 02 शातिर मोबाइल चोर/लुटेरे 1. संजू पुत्र नवीन 2. संदीप पुत्र ओमप्रकाश को आर्मी ग्राउण्ड कैन्टीन कट चौकी क्षेत्र गऊशाला, थाना विजयनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी के 09 अदद मोबाइल फोन व कुल 272 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर बरामद किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता

1. संजू पुत्र नवीन निवासी शिव मन्दिर के पास कैला खेडा थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष
2. संदीप पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिव मन्दिर वाली गली कैलाश नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान

गिरफ्तारी दिनांक :- 05.09.2022 समय 10:05 बजे

गिरफ्तारी स्थान :- आर्मी ग्राउण्ड कैन्टीन कट चौकी क्षेत्र गऊशाला

बरामदगी का विवरण

1. ओपो रंग काला IMEI NO. 867613032146336, 867613032146328
सम्बन्धित मु0अ0सं0 1156/22 धारा 380 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गा0बाद
2. एंड्रॉइड फोन ओप्पो रंग नीला
3. एंड्रॉइड फोन विवो रंग गोल्डन (स्विच ऑफ)
4. मोबाइल फोन कीपैड लावा रंग सिल्वर मॉडल A7BT, IMEI NO क्रमशः 357450123586741, 357450123586733
5. मोबाइल फोन कीपैड नोकिया मॉडल IA-1034 IMEI NO क्रमशः 357292086053784, 3572729208653792
6. ओप्पो रंग सिल्वर
7. वीवो रंग काला
8. रियलमी रंग नीला (स्विच ऑफ)
9. जिओ लाइफ मोबाइल कीपैड IMEI NO. 911645704568922
10. कुल 152 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर अभियुक्त संजू उपरोक्त से बरामद
सम्बन्धित मु0अ0सं0 1161/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट
11. कुल 120 ग्राम अल्प्राजोलम पाउडर अभियुक्त संदीप से बरामद
सम्बन्धित मु0अ0सं0 1162/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार अभि0 संजू पुत्र नवीन का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0097/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जीआरपी गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 0099/2021 धारा 414 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 0469/2018 धारा 380/411/413 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 0548/2018 धारा 414 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 0551/2018 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गाजियाबाद
6. मु0अ0सं0 0555/2018 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना जीआरपी गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 0156/2020 धारा 3/25 ए एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0 1966/2016 धारा 147/323/324/504/506 भादवि थाना विजय नगर गाजियाबाद
9. मु0अ0सं0 1156/2022 धारा 380 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गा0बाद
10. मु0अ0सं0 1160/2022 धारा 411/414 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गा0बाद

11. मु0अ0सं0 1161/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट
गिरफ्तार अभि0 संदीप पुत्र ओमप्रकाश का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 1349/2016 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 1261/2021 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना विजय नगर गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 1513/2018 धारा 4/25 ए एक्ट थाना विजय नगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 0879/2016 धारा 4/25 ए एक्ट थाना विजयनगर गा0बाद
5. मु0अ0सं0 1156/2022 धारा 380 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गा0बाद
6. मु0अ0सं0 1160/2022 धारा 411/414 भा0द0वि0 थाना विजयनगर गा0बाद
7. मु0अ0सं0 1162/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. SHO योगेन्द्र मलिक
2. उ0नि0 अरुण कुमार
3. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार गौड
4. है0का0 शशिकान्त शर्मा
5. का0 दीपक कुमार



प्रेस नोट

थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मय 20 लीटर अवैध यूरिया मिश्रित देशी कच्ची शराब नाजायज व 250 ग्राम यूरिया सहित गिरफ्तार ।

दिनांक 5.9.2022 को थाना टीला मोड पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान राजपुर तिराहे के पास बजाय वेयर हाउस के पीछे से अभियुक्त हेमन्त पुत्र रामअवतार निवासी फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद को 20 लीटर अवैध यूरिया मिश्रित देशी कच्ची शराब नाजायज व 250 ग्राम यूरिया सहित गिरफ्तार किया हैं। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 444/22 धारा 60 /62 आबकारी अधि0 व 272,273 भादवि थाना टीला मोड पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. हेमन्त पुत्र रामअवतार निवासी फरुखनगर थाना टीला मोड गा0बाद

बरामदगी का विवरण -

20 लीटर अवैध यूरिया मिश्रित देशी कच्ची शराब नाजायज व 250 ग्राम यूरिया ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त

1 मु0अ0सं0 444/22 धारा 60 /62 आबकारी अधि0 व 272,273 भादवि थाना टीला मोड गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना टीला मोड गा0बाद
2. हे0का0 1220 अनिल कुमार थाना टीलामोड गा0बाद
3. हे0का0 1566 राजीव कुमार थाना टीला मोड गा0बाद
4. हे0का0 1632 धीरज बालियान



प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2022

थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

(थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 04.9.22 को नाजायज देशी शराब रखने वाले अभियुक्त को मय 30 पच्चे देशी शराब सहित किया गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय व थाना प्रभारी इन्दिरापुरम महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 04.9.22 को समय करीब 2300 बजे दिव्याशं प्रथम सोसाइटी के पीछे झुग्गी झोपडी के पास से अभियुक्त दीपक पुत्र शंकरलाल को मय 30 पच्चे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

दीपक पुत्र शंकर लाल निवासी हेबतपुरा थाना गरौठा जिला झांसी उ0प्र0 हाल पता कुलदीप नागर का आश्रम रोड ग्राम कनावनी थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद उम्र करीब -20 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक पुत्र शंकरलाल

1- मु0अ0स0 1148/22 धारा 60 एक्स0 एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

30 पच्चे देशी शराब

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0अमित कुमार
- 2- का0 2438 अनुभव
- 3- व का0 1307 इन्द्रजीत सिंह



-प्रेस नोट:-

थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद (दिनांक:- 05/09/2022)

थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा दिनांक 04.09.22 की रात्री में छापामारी के दौरान अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पकडा गया । मौके से 04 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है ।

कार्यवाही - श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये गये अभियान के दौरान थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 04.09.22 की रात्री मे छापामारी के दौरान नैक्स्ट लैवल कैफे सै0 13 वसुन्धरा मे अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पकडा गया . मौके से 08 अदद हुक्का बेस, 06 अदद हुक्का की प्लेटे, 06 अदद हुक्का की पाईप, 05 अदद चिलम, 05 अदद क्लाउड, 01 पैकेट तम्बाकू कोकोया बरामद कर संचालक समेत 04 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

मु0अ0सं0 1149/2022 धारा 21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधि0 2003 थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

- 1- तबरेज पुत्र गुल मौहम्मद निवासी A78 शालीमारगार्डन मैंन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल पता नया बस्ती धमेडा अडडा थाना कोतवाली जिला बुलन्दशहर उम्र करीब 26 वर्ष
- 2- फराज पुत्र महाराज निवासी एफ 52 शालीमारगार्डन थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 19 वर्ष
- 3- अनिल पुत्र आसाराम निवासी ग्राम खजुहा थाना राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश हाल पता कटोरी मिल्क मोहननगर थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 24 वर्ष

4- राहुल पुत्र अनूप निवासी सैक्टर 13 वसुन्धरा गा0बाद मूल पता गावं चिल्लोड थाना साण्डी जिला हरदोई उ0प्र0 उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

08 अदद हुक्का बेस , 06 अदद हुक्का की प्लेटे , 06 अदद हुक्का की पाईप, 05 अदद चिलम , 05 अदद क्लाउड , 01 पैकेट तम्बाकू कोकोया

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1- प्रभारी निरीक्षक देवपाल सिंह पुन्डीर
- 2- उपनिरीक्षक दीपक कुमार
- 3- HC 164 योगेन्द्र प्रसाद
- 4- कांस्टेबल 906 राहुल
- 5- कां0 1680 नीरज



प्रेस नोट

दिनांक 05.09.2022

थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

(थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 04.9.22 को नाजायज देशी शराब रखने वाले अभियुक्त को मय 20 पच्चे देशी शराब सहित किया गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय व थाना प्रभारी इन्दिरापुरम महोदय के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध व अपराधियो तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 04.9.22 को समय करीब 2305 बजे गार्डेनिया चौराहा वसुन्धरा के पास से अभियुक्त नितीश कुमार पुत्र अर्जुन सिंह को मय 20 पच्चे अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

नितीश कुमार पुत्र अर्जुन सिंह उम्र करीब 19 वर्ष निवासी म0 न0 355 सैक्टर -12, वसुन्धरा, थाना
इन्दिरापुरम जिला गा०बाद मूल पता ग्राम तेतरी डंडारी जिला बेगुसराय बिहार

अपराधिक इतिहास अभियुक्त नितीश कुमार पुत्र अर्जुन सिंह

2- मु0अ0स0 1147/22 धारा 60 एक्स0 एक्ट थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

20 पक्वे देशी शराब

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 दिनेश कुमार
- 2- है0का0 912 हंसराज सिंह



प्रेस नोट

दिनांक 5.09.2022

थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद

(थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दिनांक 04.9.22 को नशीली पाउडर बेचने वाले
अभियुक्त को मय 115 ग्राम नशीली गोली एलप्राजोलम पाउडर समेत किया
गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे व पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय
के कुशल नेतृत्व मे व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय व थाना प्रभारी इन्दिरापुरम के कुशल पर्यवेक्षण मे

अपराध व अपराधियों तथा नशीले पदार्थ की बरामदगी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 04.9.22 को समय करीब 21.25 बजे वसुन्धरा गार्डनिया चौराहा से अर्थला अन्डरपास जाने वाले रास्ते के पास से अभियुक्त अजय को मय 115 ग्राम नशीली गोली एल्प्राजोलम पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया तथा थाना इन्दिरापुरम पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 1046/2022 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

अजय पुत्र किशनपाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी झुग्गी झोपडी सै0-04 वसुन्धरा, ली क्रिस्ट अस्पताल के पास, थाना इन्दिरापुरम जिला गांवाबाद, मूल पता आजाद नगर बड़ौत थाना बड़ौत जिला बागपत

अपराधिक इतिहास अभियुक्ता अजय पुत्र किशनपाल

मु0अ0स0 -1146/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट भादवि थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण

एल्प्राजोलम नशीली गोली का पिसा हुआ पाउडर 115 ग्राम

गिरफ्तारी/ सहयोग करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 दिनेश कुमार
- 2- उ0नि0 अंकुल कुमार
- 3- है0का0 912 हंसराज